न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आईए0एस0

मि0नं0 01 /अपील (आर0टी0आई)/2018

मोहम्मद रईस खान आ0 मोहम्मद हनीफ खान
जामा मस्जिद के पास, झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 12.10.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0कलक्टर झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 04.07.2018 को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी(1)ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति(2) जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र संख्या 2951/राजस्व/17 दिनांक 04.08.2017 में की गई कार्यवाही के पत्रादि की प्रमाणित प्रति (3) ग्राम पंचायत गागरोन में आने वाले समस्त ग्रामों के वर्ष 2012 से जून 2012 तक खोले गये समस्त नामान्तकरणों के अवलोकन एंव बाद अवलोकन चिन्हित की गई नामा0 की छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मध्य तहसीलदार झालरापाटन को रेकार्ड का अवलोकन कर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि क्रम संख्या 1 पर अंकित सूचना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना साबित है किन्तु तहसीलदार झालरापाटन या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नियत सुनवाई की दिनांक को न्यायालय हाजा में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित ही नही हुए हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वंय तहसीलदार झालरापाटन से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेज में से क्रम संख्या 2 व 3 पर अंकित दस्तावेज ही प्राप्त कर सके हैं। अपीलार्थी को क्रम संख्या 1 पर अंकित (ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति) उपलब्ध नही कराया जाना अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर झालावाड़ अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित(तहसीलदार झालरापाटन) से अन्दर 07 योम उपलब्ध करावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आईए0एस0

मि0नं0 01 /अपील (आर0टी0आई)/2018

मोहम्मद रईस खान आ0 मोहम्मद हनीफ खान
जामा मस्जिद के पास, झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 12.10.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0कलक्टर झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 04.07.2018 को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी(1)ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति(2) जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र संख्या 2951/राजस्व/17 दिनांक 04.08.2017 में की गई कार्यवाही के पत्रादि की प्रमाणित प्रति (3) ग्राम पंचायत गागरोन में आने वाले समस्त ग्रामों के वर्ष 2012 से जून 2012 तक खोले गये समस्त नामान्तकरणों के अवलोकन एंव बाद अवलोकन चिन्हित की गई नामा0 की छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मध्य तहसीलदार झालरापाटन को रेकार्ड का अवलोकन कर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी द्वारा दौरोने बहस व्यक्त किया कि कम संख्या 1 पर अंकित सूचना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना साबित है किन्तु तहसीलदार झालरापाटन या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नियत सुनवाई की दिनांक को न्यायालय हाजा में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित ही नही हुए हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वंय तहसीलदार झालरापाटन से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेज में से कम संख्या 2 व 3 पर अंकित दस्तावेज ही प्राप्त कर सके हैं। अपीलार्थी को कम संख्या 1 पर अंकित (ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति) उपलब्ध नही कराया जाना अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर झालावाड़ अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित(तहसीलदार झालरापाटन) से अन्दर 07 योम उपलब्ध करावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आईए0एस0

मि0नं0 01 / अपील (आर0टी0आई) / 2018

मोहम्मद रईस खान आ0 मोहम्मद हनीफ खान
जामा मस्जिद के पास, झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 12.10.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0कलक्टर झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 04.07.2018 को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी(1)ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति(2) जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र संख्या 2951 / राजस्व / 17 दिनांक 04.08.2017 में की गई कार्यवाही के पत्रादि की प्रमाणित प्रति (3) ग्राम पंचायत गागरोन में आने वाले समस्त ग्रामों के वर्ष 2012 से जून 2012 तक खोले गये समस्त नामान्तकरणों के अवलोकन एंव बाद अवलोकन चिन्हित की गई नामा0 की छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मध्य तहसीलदार झालरापाटन को रेकार्ड का अवलोकन कर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी द्वारा दौरोने बहस व्यक्त किया कि कम संख्या 1 पर अंकित सूचना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना साबित है किन्तु तहसीलदार झालरापाटन या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नियत सुनवाई की दिनांक को न्यायालय हाजा में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित ही नही हुए हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वंय तहसीलदार झालरापाटन से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेज में से कम संख्या 2 व 3 पर अंकित दस्तावेज ही प्राप्त कर सके हैं। अपीलार्थी को कम संख्या 1 पर अंकित (ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति) उपलब्ध नही कराया जाना अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर झालावाड़ अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित(तहसीलदार झालरापाटन) से अन्दर 07 योम उपलब्ध करावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आईए0एस0

मि0नं0 01 /अपील (आर0टी0आई)/2018

मोहम्मद रईस खान आ0 मोहम्मद हनीफ खान
जामा मस्जिद के पास, झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

—:: निर्णय ::— दिनांकः 12.10.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0कलक्टर झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 04.07.2018 को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी(1)ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति(2) जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र संख्या 2951/राजस्व/17 दिनांक 04.08.2017 में की गई कार्यवाही के पत्रादि की प्रमाणित प्रति (3) ग्राम पंचायत गागरोन में आने वाले समस्त ग्रामों के वर्ष 2012 से जून 2012 तक खोले गये समस्त नामान्तकरणों के अवलोकन एंव बाद अवलोकन चिन्हित की गई नामा0 की छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मध्य तहसीलदार झालरापाटन को रेकार्ड का अवलोकन कर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी द्वारा दौरोने बहस व्यक्त किया कि कम संख्या 1 पर अंकित सूचना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना साबित है किन्तु तहसीलदार झालरापाटन या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नियत सुनवाई की दिनांक को न्यायालय हाजा में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित ही नही हुए हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वंय तहसीलदार झालरापाटन से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेज में से कम संख्या 2 व 3 पर अंकित दस्तावेज ही प्राप्त कर सके हैं। अपीलार्थी को कम संख्या 1 पर अंकित (ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति) उपलब्ध नही कराया जाना अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर झालावाड़ अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित(तहसीलदार झालरापाटन) से अन्दर 07 योम उपलब्ध करावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आईए0एस0

मि0नं0 01 /अपील (आर0टी0आई)/2018

मोहम्मद रईस खान आ0 मोहम्मद हनीफ खान
जामा मस्जिद के पास, झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 12.10.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0कलक्टर झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 04.07.2018 को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी(1)ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति(2) जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र संख्या 2951/राजस्व/17 दिनांक 04.08.2017 में की गई कार्यवाही के पत्रादि की प्रमाणित प्रति (3) ग्राम पंचायत गागरोन में आने वाले समस्त ग्रामों के वर्ष 2012 से जून 2012 तक खोले गये समस्त नामान्तकरणों के अवलोकन एंव बाद अवलोकन चिन्हित की गई नामा0 की छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मध्य तहसीलदार झालरापाटन को रेकार्ड का अवलोकन कर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी द्वारा दौरोने बहस व्यक्त किया कि कम संख्या 1 पर अंकित सूचना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना साबित है किन्तु तहसीलदार झालरापाटन या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नियत सुनवाई की दिनांक को न्यायालय हाजा में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित ही नही हुए हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वंय तहसीलदार झालरापाटन से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेज में से कम संख्या 2 व 3 पर अंकित दस्तावेज ही प्राप्त कर सके हैं। अपीलार्थी को कम संख्या 1 पर अंकित (ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति) उपलब्ध नही कराया जाना अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर झालावाड़ अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित(तहसीलदार झालरापाटन) से अन्दर 07 योम उपलब्ध करावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आईए0एस0

मि0नं0 01 /अपील (आर0टी0आई)/2018

मोहम्मद रईस खान आ0 मोहम्मद हनीफ खान
जामा मस्जिद के पास, झालावाड़ (राज0) (अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

—:: निर्णय ::— दिनांकः 12.10.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई गई। इससे अप्रसन्न होकर अपील पेश की है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी अति0कलक्टर झालावाड़ से सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को दिनांक 04.07.2018 को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था प्रार्थी द्वारा निम्न सूचना चाही गई थी(1)ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित प्रति(2) जिला कलक्टर झालावाड़ के पत्र संख्या 2951/राजस्व/17 दिनांक 04.08.2017 में की गई कार्यवाही के पत्रादि की प्रमाणित प्रति (3) ग्राम पंचायत गागरोन में आने वाले समस्त ग्रामों के वर्ष 2012 से जून 2012 तक खोले गये समस्त नामान्तकरणों के अवलोकन एंव बाद अवलोकन चिन्हित की गई नामा0 की छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, अपीलार्थी द्वारा इस मध्य तहसीलदार झालरापाटन को रेकार्ड का अवलोकन कर दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क स्थापित किया गया।

अपीलार्थी उपस्थित है। तहसीलदार झालरापाटन या उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी द्वारा दौरोने बहस व्यक्त किया कि कम संख्या 1 पर अंकित सूचना तहसीलदार झालरापाटन द्वारा उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड़ द्वारा तहसीलदार झालरापाटन को सम्बन्धित समस्त अभिलेखों के साथ अपील अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाना साबित है किन्तु तहसीलदार झालरापाटन या उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा नियत सुनवाई की दिनांक को न्यायालय हाजा में समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित ही नही हुए हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा स्वंय तहसीलदार झालरापाटन से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेज में से कम संख्या 2 व 3 पर अंकित दस्तावेज ही प्राप्त कर सके हैं। अपीलार्थी को कम संख्या 1 पर अंकित (ग्राम गागरोन के नामान्तकरण खोलने पर लगी रोक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति) उपलब्ध नही कराया जाना अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी,अति0जिला कलक्टर झालावाड़ अपीलार्थी को वांछित सूचना सम्बन्धित(तहसीलदार झालरापाटन) से अन्दर 07 योम उपलब्ध करावें। पत्रावली फैराल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2018 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया ।

(डॉ0जितेन्द्र कुमार सोनी)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड